कुमार आश्रम, मेरठ, को दिये गये 8,73,392 रुपए के कुल अनुदानों में से किये गये व्यय की कोई जांच की गई है।

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमितताएं पाई गई हैं, और

(ग) इन संस्थाओं ने किन विभिन्न मदों पर धन खर्च किया?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुहा) : (क) ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद के 1963–64, 1964–65 तथा 1965–66 के वर्षों के लेखों की इस विभाग ने जांच की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लेखों की जांच सामान्यतया स्थानीय निधि लेखों के परीक्षक द्वारा की जाती है। कुमार आश्रम के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है क्योंकि उसे केवल एक साल के लिये सहायक अनुदान दी गई थी।

(ख) कुछ तकनीकी भूलों को छोड़कर सरकार को अब तक किसी अनियमितता का पता नहीं चला है।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद :— अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये प्रचार।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय — भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की परीक्षाओं में भाग लेने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वास्ते परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।

कुमार आश्रम, मेरठ :—सरदार पटेल भवन के निर्माण, नल-कूप लगवाने तथा फर्नीचर खरीदने के लिए।

गाजीपुर के अफीम कारखाने के कर्मचारियों को उत्पादन बोनस

2585. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक साम्भली :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के अफीम कारखाने के कर्मचारियों को इस वर्ष उत्पादन बोनस नहीं दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस कारखाने के अधिकारियों ने कर्मचारियों को उत्पादन बोनस दिये जाने के बारे में अपनी सिफारिशें भेजी हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार को निर्णय करने में कितना समय लगेगा?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। कर्मचारियों को अफीम वर्ष 1965–66 (1–10–1965 से 30–9–1966 तक) का उत्पादन बोनस नहीं दिया गया है।

(ख) कर्मचारियों को उत्पादन पुरस्कार इस लिए नहीं दिया गया कि इनाम की अदायगी के लिए निर्धारित उत्पादन-प्रतिमानों की पूर्ति अफीम वर्ष 1965–66 में नहीं की गयी थी।

(ग) और (घ). कारखाना अधिकारियों ने वर्ष 1965–66 के लिए उत्पादन पुरस्कार देने की सिफारिश नहीं की है। लेकिन गाजीपुर अफीम कर्मचारी संघ ने इसकी अदायगी के बारे में अभ्यावेदन किया था। चूंकि प्रतिमानों की पूर्ति नहीं हुई थी इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गयी।

अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को आयकर की राहत

2586. श्री इसहाक साम्भली : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक बच्चों